रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स 70] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2012/पौष 27, 1933
No. 70] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2012/PAUSA 27, 1933

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2012

का.आ. 79(अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मंत्रालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित कार्य करने वाले संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को आयोग की बैठकों और उसकी चर्चाओं में भाग लेने के लिए नामनिर्देशित करती है, परंतु नामनिर्देशित अधिकारी को मताधिकार नहीं होगा ।

[फा. सं. 6(1)/2011-केवीआई-II]
दिनेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2012

S.O. 79(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby nominates the Joint Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, handling the work relating to Khadi and Village Industries Commission in the Ministry, to attend the meetings of the Commission and take part in the discussions thereof : Provided that the nominated officer shall not have the right to vote.

[F. No. 6(1)/2011-KVI-II]
DINESH SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.